

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में
सी०एम०पी० संख्या—२२१ / २०१९

राम कैलाश सिंह

..... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची
3. मुख्य अभियंता, स्वर्णरेखा परियोजना, जमशेदपुर
4. अतिरिक्त निदेशक, पुनर्वास और भूमि अधिग्रहण, स्वर्णरेखा परियोजना, जमशेदपुर
5. विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, स्वर्णरेखा परियोजना, सरायकेला—खरसावां

..... उत्तरदातागण

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्ता के लिए : श्री अजीत कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए : सुश्री सुनीता कुमारी, एस०सी० (एल एंड सी)–III के ए०सी०

आदेश संख्या ०३ : दिनांक २ अगस्त, २०१९

यह आवेदन डब्ल्य०पी० (एस०) सं०–४७०८ / २००९ की पुनःस्थापन हेतु दायर किया गया है,
जो दिनांक १२.१२.२००८ के आदेश के द्वारा गैर-अभियोजन के कारण खारिज कर दिया गया था।

पुनःस्थापन आवेदन में बताये गए कारणों के मद्देनजर, सी०एम०पी० की अनुमति दी गई है
और डब्ल्य०पी० (एस०) सं०–४७०८ / २००९ को ५००/- रुपये की कॉस्ट सदस्य सचिव, झालसा, राँची
के पास जमा करने पर इसे अपनी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाएगा।

तदनुसार, सी०एम०पी० का निपटान किया जाता है।

(संजय कुमार द्विवेदी, न्यायालय)